न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 87/2017

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

बनाम

अप्रार्थीगण :—
छोगा पुत्र सुवा के का.मु.
1. रेवतराम पुत्र छोगाराम
2. पारसराम पुत्र छोगाराम जाति बावरी
निवासीगण आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक : 20/8/18

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के पिता छोगा के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु चक I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1706 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 1706/3 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाडा के नियम विरूद्ध किए गए नियमन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार को बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु चक I तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1706 किस्म गै.मु. नदी में से 1706/3 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाडा किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के पिता को नियमन आदेश क्रमांक राज./30 दिनांक 15.01.1976 के द्वारा उक्त आराजी नियमन की गई जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसको पालना में अप्रार्थीगण के पिता छोगा को जरिये नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 24.07.1980 को सरपंच आनन्दपुर कालु द्वारा स्वीकृत कर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के नियमन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 24.07.1980 को भी निरस्त करवाकर आराजी को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु चक I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1706 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 1706/3 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाडा जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका नियमन अप्रार्थीगण के पिता छोगा पुत्र सुआ निवासी आनन्दपुर कालु को आदेश क्रमांक राज./30 दिनांक 15.01.1979 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 24.07.1980 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पिता छोगा पुत्रा सुआ को खातेदार दर्ज किया गया। वक्त नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया नियमन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से किया गया नियमन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 24.07.1980 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता छोगा पुत्र सुआ बावरी, निवासी आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में किया गया नियमन आदेश क्रमांक राज./30 दिनांक 15.01.1979 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 24.07.1980 को निरस्त फरमाया जावे एवं जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. नदी दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)